



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 07.10.2020

1-थाना फेस 2 पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम मे जिला बदर एक अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 04.10.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय गौतमबुद्धनगर के आदेश सं0 96/2020 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में अभियुक्त शोएब पुत्र इब्राहिम निवासी समीप बाबा मार्किट मेडिकल स्टोर थाना फेस 2 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अपने आदेश दिनांक 29.09.2020 में जिला बदर घोषित किया गया है । अभियुक्त द्वारा उपरोक्त आदेश प्राप्ति के बाबजूद भी थाना फेस 2 जिला गौतमबुद्धनगर मे मौजूद पाया गया ।

दिनांक 07.10.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा अभियुक्त शोएब उपरोक्त को नंगला तिराहा के पास थाना क्षेत्र फेस 2 से गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध थाना फेस 2 पर मु0अ0सं0 600/2020 धारा 10 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत हुआ है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

शोएब पुत्र इब्राहिम निवासी समीप बाबा मार्किट मेडिकल स्टोर थाना फेस 2 जनपद गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग -

1.मु0अ0सं0 600/2020 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना फेस 2 नोएडागौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 1099/19 धारा 294 भा0द0वि0 थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2-दादरी पुलिस व EOW मेरठ व एसटीएफ नोएडा व एसटीएफ मेरठ द्वारा संयुक्त अभियान मे

बाइक बोट प्रकरण से संबन्धित 50-50 हजार रुपये के 02 ईनामी व एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार:

दिनांक 07.10.2020 को थाना दादरी पुलिस व EOW व एसटीएफ नोएडा के संयुक्त अभियान के दौरान बाइक बोट प्रकरण से सम्बन्धित 03 अभियुक्त 1. सचिन भाटी पुत्र रतन सिंह भाटी 2. पवन भाटी पुत्र रतन सिंह भाटी निवासी गण ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को नंगला नैन सुख गेट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर व 3. करणपाल सिंह पुत्र केहरी सिंह निवासी एफ 83 गंगा सागर डिफैन्स कालौनी थाना गंगानगर मेरठ को हापुड चुंगी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त करणपाल व सचिन भाटी उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतू 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था अभियुक्तों के विरुद्ध बाइक बोट से सम्बन्धित कई दर्जन मुकदमे पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.सचिन भाटी पुत्र रतन सिंह भाटी निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 2.पवन भाटी पुत्र रतन सिंह भाटी निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
3. करणपाल सिंह पुत्र केहरी सिंह निवासी एफ 83 गंगा सागर डिफैन्स कालौनी थाना गंगानगर मेरठ

अभियोगों का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 592/2019 धारा 420,409,467,468,471,120बी,201 भादवि 58 बी आरबीआई एक्ट एवं 58 ए कम्पनी अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 206/2019 धारा 420,467,471,409,201 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3-थाना फेस 2 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन लूट की घटना करने वाले दो लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, एक तमंचा 315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद-

दिनांक 07.10.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 02 मोबाइल लूटेरे अभियुक्त 1.अमित सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 2.शुभम सिंह उर्फ अमरेश प्रताप पुत्र सीता शरण सिंह निवासी गण सलारपुर थाना सैक्टर 39 नोएडा को सी 84 कम्पनी के पास हाजरी काम्पलैक्स से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से थाना फेस 2 के मु0अ0सं0 597/2020 धारा 392 भादवि0 मे लूटा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ । दोनों अभियुक्तगण द्वारा लूट की घटना किया जाना स्वीकार किया गया । अभियुक्त अमित सिंह उपरोक्त के

कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर व अभियुक्त सौरभ सिंह उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.अमित सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शिवरामपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ वर्तमान निवासी ग्राम सलारपुर थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2.शुभम सिंह उर्फ अमरेश प्रताप पुत्र सीता शरण सिंह निवासी किशनदासपुर थाना किशनदासपुर नबाबगंज जिला गोण्डा वर्तमान निवासी ग्राम सलारपुर थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग -

- 1-मु0अ0सं0 597/2020 धारा 392/411भादवि थाना फेस 2 नोएडा बनाम अमित व शुभम
- 2.मु0अ0सं0 598/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना फेस 2 नोएडा बनाम अमित
- 3.मु0अ0सं0 599/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना फेस 2 नोएडा बनाम शुभम सिंह

अभियुक्तगण से बरामदगी-

1. लूट का एक मोबाइल फोन
2. एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक अवैध चाकू।

4-थाना फेस 2 पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे

से 1 किलाग्राम अवैध चरस बरामद :

दिनांक 06.10.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त रिंकू पुत्र सुरेश निवासी कुलीपुर थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर को थाना फेस 2 के क्षेत्र सेक्टर 80 फायर स्टेशन तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। ।

अभियुक्त का विवरण-

रिंकू पुत्र सुरेश निवासी कुलीपुर थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 596/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1 किलोग्राम अवैध चरस

5- थाना बादलपुर पुलिस द्वारा फर्जी दरोगा बनकर घूम रहा 01 युवक गिरफ्तार :

दिनांक 07.10.2020 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा फर्जी दरोगा बनकर जनता में अपना रोब दिखाते हुए घूम रहे एक युवक राजेश त्रिपाठी पुत्र ओमप्रकाश नि0 गजराज पार्क थाना पनकी कानपुर को भारत धर्म काटा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश त्रिपाठी पुत्र ओमप्रकाश नि0 गजराज पार्क थाना पनकी कानपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 410/2020 धारा 171,420,467,468 व 471 भा0द0वि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

01 पुलिस की वर्दी मय स्टार, डोरी एवं नेमप्लेट एवं लाल जूते एवं पी कैप

6- थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:

दिनांक 07-10-2020 को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-163/19 धारा 279, 420, 467, 468, 471 व 427 भादवि का वांछित अभियुक्त साहनू उर्फ सोनू कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी बन्दीपुरवा थाना सहायल जिला औरैया को लेकर चौक सेक्टर-58 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

साहनू उर्फ सोनू कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी बन्दीपुरवा थाना सहायल जिला औरैया

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-163/2019 धारा-279, 427, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना सेक्टर 58, नोएडा।

7- थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 07.10.2020 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा NBW/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के एक विशेष अभियान के दौरान 03 NBW वारण्टी अभियुक्तों सम्बंधित मु0अ0सं0 13/15 धारा 302 , 147,148 ,149, 307, 386, 506, 34, 120B भादवि को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. प्रदीप पुत्र रामपाल निवासीगण ग्राम दुजाना थाना बादलपुर गौतबुद्धनगर।
02. रणपाल पुत्र फूलसिंह निवासीगण ग्राम दुजाना थाना बादलपुर गौतबुद्धनगर।
03. महेश पुत्र तेजपाल निवासीगण ग्राम दुजाना थाना बादलपुर गौतबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 13/15 धारा 302,147,148 ,149, 307, 386, 506, 34, 120B भादवि

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस उपायुक्त, महिला सुरक्षा के अनुश्रवण में गौतमबुद्धनगर की महिलाओं की सुरक्षा हेतु गठित समस्त थानों की स्वयंसिद्धा द्वारा दिनांक 06/07.10.2020 की रात्रि में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों एवं महिलाओं पर छिटाकशी करने वाले शोहदों के विरूद्ध पेट्रोलिंग एवं चेकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी। कार्यवाही के दौरान कुल 38 स्थानों पर 536 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 30 व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था गौतमबुद्धनगर द्वारा भी भ्रमणशील रहकर स्वयंसिद्धा टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए एवं उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहित किया गया।

